संख्या-60/2015जी0आई0-245/52-1-2015-01(27)/2015

प्रेषक,

मो०शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015**

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक 24-03-2015 को 96वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों के चयनित 300 विद्यालयों में तकनीकी/कम्प्यूटर के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(47)/2013-पी0पी0, दिनांक 21.04.2014 से प्रश्नगत प्रशिक्षण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 3077.40 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (ई०सी०आई०एल०)** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 1846.44 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 5,53,93,200/-(रू0 पांच करोड़ तिरपन लाख तिरानबे हजार दो सौ मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 3,69,28,800/-(रू0 तीन करोड़ उन्हत्तर अट्ठाइस हजार आठ सौ मात्र) अर्थात् कुल रू0 9,23,22,000/-(रू0 नौ करोड़ तेइस लाख बाइस हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय किये जाने की अनुमति उपलब्ध बचतों में संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-09 के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 9,23,22,000/- से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://sikasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त **प्रथम किश्त**		अवमुक्त कुल धनराशि (के0/रा0)
							केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों के चयनित 300 विद्यालयों में तकनीकी/ कम्प्यूटर के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार	300 विद्यालय	10.258	1846.44	1230.96	3077.40	553.932	369.288	923.22
	योग		**10.258**	**1846.44**	**1230.96**	**3077.40**	**553.932**	**369.288**	**923.22**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, **इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (ई०सी०आई०एल०)** को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

4- कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- शैक्षिक प्रशिक्षण की विशिष्टियॉं, मानक, भवन एवं उपकरण आदि वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

6- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shiksanadesh.up.nic.in

7- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा प्रशिक्षण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे ।

11- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- ''**0105-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार-(के० 60 /रा० 40-के०+रा०)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान**'' के नामें डाला जायेगा। यह धनराशि ''लेखा शीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-अल्पसंख्यक समुदाय के युवक-युवतियों को कौशल विकास एवं रोजगार परक प्रशिक्षण (के० 100/रा० 00-के0+रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर की जायेगी।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1071/दस-2015, दिनांक 12.10.2015 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)</u>

भवदीय,

(मो०शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shiksha.up.nic.in

संख्या- (1) / बावन-1-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

9- निदेशक, **इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (ई०सी०आई०एल०)** को इस आशय से प्रेषित कि चयनित 300 विद्यालयों में प्रशिक्षण का कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो०शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://sinasanadesh.up.nic.in